

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड- अकलेरा जिला झालावाड

Email :- pwdaklera@rediffmail.com & eeaklera.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 635

दिनांक : 23/08/2024

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar ..
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/10301
दिनांक 19.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित विषयाकित्त प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति तहत् धारा-2 मे **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajssthan** मे 0.994 हैक्टर हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन के लिए **FRA Certificate** पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डी.एस.मीणा)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

S.No 648

Date :- 05.03.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक पं. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.994 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है						
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 1,08,15000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है						
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 6,22,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है						
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 1,37,93,586/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है						
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।						
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।						
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.223 को उक्त कार्य हेतु राशि रु 3174304/- सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु. 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/ 9269 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समयोजन कि अनुशेषा की है।						
		सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि
		1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277
		2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1240 वृक्ष	12188406	14820644	12188406	2632238
3	एन0पी0वी0 राशि	0.994 हैक्ट.	622244	952033	622244	329789		
योग			13793586	16967890	13793586	3174304		
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।						
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।						

16

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हाँ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2 वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(सुमनन्द मीणा)
अधिष्ठापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश

क्रमांक :- 648

दिनांक :- 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

(सुमनन्द मीणा)
अधिष्ठापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

S.No. 258

Date :- 13/06/2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड़

विषय :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक पं. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.994 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 1,08,15,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 6,22,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 1,37,93,586/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अधिकरण द्वारा धन राशि रूपये 1,37,93,586/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 01,37,93,586/- जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/-रूपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 1,08,15,000/- दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 6,22,000/- रूपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि -3,87,639/-रूपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि - 10,96,947/- रूपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हैं जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

खिखण्ड मीना
अधीक्षणी अभियन्ता
आधिशाखा अभियन्ता
सावजनिक निर्माण विभाग
साठ वि० वि० खण्ड अकलेश
खण्ड अकलेश
आ० डी० आ० 15294

क्रमांक :- 258

दिनांक :- 13/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधीक्षणी अभियन्ता
आधिशाखा अभियन्ता
सावजनिक निर्माण विभाग
साठ वि० वि० खण्ड अकलेश
खण्ड अकलेश
आ० डी० आ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to Jatamarl under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3
की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या
से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(रमेशचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(रमचन्द्र श्रीवास्तव)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

खेमचन्द्र भीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/- रुपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सहायक, खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) 1,08,15,000/- रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी डी ओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 6,22,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी डी ओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे 1,37,93,586/- रुपये जमा करा दी गई हैं।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पिन कोड 328 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीना)
अभिशाषी अभियन्ता
खण्ड अकलेरा
डिप्टी डीओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता सा.
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पिन को आ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की, अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 22.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
क्रमांक-७७

दिनांक - 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंक्षक
झालावाड जिला झालावाड राज०

विषय- सम्पर्क सडक बडोदिया से जटामरी अन्डर RRSMP (Phase-II) in Distt.
झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 1098947.00 रु केम्बा
फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एच टैजरी क बिल की
प्रति सलंगन कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय
(एल. वि. वागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

कमांक एफ ()एफसीए/उपस/2019-20/ दिनांक:
निमित्त :-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय - Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar. में 0.994 हेक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

<p>प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।</p>	<p>है। हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
<p>7. प्रयोक्ता अभिकरण के घ्य पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।</p>
<p>8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 6-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी कुल राशि रु 13793586 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रु 822244 एनपीवी के सम्मिलित है।</p>
<p>10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हां, जी कुल राशि रु 13793586 जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रु 982936 सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढोतरी होती है जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरू डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 586 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 6-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियाँ निधियाँ प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही</p>	<p>अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रु. 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण 12188406 /- रु.</p>

जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	3. एनपीवी - 622244/- है।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15. राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के घालान की छायाप्रति।
 2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
 3. समाचार पत्र की प्रति।


भवदीय

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2019-20/9133

प्रतिलिपि :- अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 180 दिनांक 28.05.2019 के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित है।

दिनांक: 10-6-19


उप वन संरक्षक
झालावाड़

१५

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 108

दिनांक : 28-5-19

उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014 श्रीमान् सामाग्रीय मुख्य वन
संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (51)वन /2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 से रोज्या अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.994 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर ऐजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति हानि पर यूजर ऐजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेंसी की रहेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा शून्य से 10 क्यूबों के पातन होने पर 100 क्यूबों तथा 10 से अधिक क्यूबों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले क्यूबों का दस गुणा संख्या में क्यूबों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा की जायेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।

29-5-19

9.	<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1998 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>डॉ. जी. राशि रु. 822244/- रुपये जमा करवा दी गयी है।</p>
10.	<p>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशि निधिया प्रतिपूर्ति पीछोरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAI Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>डॉ. जी. राशि रु. 13793588/- रुपये जमा करवा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रु. 882936/- रुपये सम्मिलित है।</p>
11.	<p>प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेगे कि सड़क रतार से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>डॉ. जी. वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया गया है।</p>
12.	<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपग्रोम सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निरस्तारण नहीं किया जायेगा। तथा प्रत्यापलित वन भूमि में सड़क निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निरस्तारण की शुरुय होगी। इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया है।</p>
13.	<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1998 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा राशि निधिया प्रतिपूर्ति पीछोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ चेक की छायाप्रति सहित वैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति कृषारोपण तथा अन्य हतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तादीपरत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>अधिकरण द्वारा धन राशि 13793588/- रुपये जरिये बालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंगन है। कुल 13793588 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 कृषो का रोपण एवं रखरखाव :- 882936/- 2. मार्ग के छोटी तक कृषारोपण- 12188408/- 3. एन.पी.वी -822244/- है।

14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के सार्वजनिक अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जायेगी। जो कि दिनांक 28.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति
2. बचन बढ़ता प्रमाण पत्र
3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल.सी. पागडी)
अधिराधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक:
कमांक:
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिराधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

वृ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/2019

श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - बिलो के भुगतान जमा होने के क्रम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamani under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 (I) 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रमुखस

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त तीनों सड़कों का भुगतान टी वी बाउचर्स संख्या 17864 (रोज्या सड़क), टी वी बाउचर्स संख्या 17865 (नयागांव भानपुरा सड़क) टी वी बाउचर्स संख्या 17866 (जटामरी सड़क) से दिनांक 27.06.2019 को कैम्पा फण्ड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपनुरा से गणेशपुरा लोडान का है भुलवश उसमें जमा हो गयी है जिसके दाम बिल, टी वी बाउचर, व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है

जमा करवायी गय राशि का विवरण इस प्रकार है

क्रस	प्रोपजल संख्या व सडक का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमे जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बडोदिया से जटामाशी	1096947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177570372
2	FP/RJ/ROAD/7595/2014 एनएच 12 से रोज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856175950315
3	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी. से 358/500 से नयागावं भानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमानु से निवेदन है कि उक्त तीनों सडको की राशि जो कि खाता संख्या 150856113599 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान मे जमा हो गयी है उसको उक्त सडको के खातो मे स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

संलग्न: - याम बिल,टीवी
वाउचर व चालान की प्रतियां

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/2019

प्रतिलिपि श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर
प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक कोटा
प्रतिलिपि श्रीमान अधिक्षक अभियन्ता सा नि वि वृत्त झालापाड

अधिशायी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel: 01432 232700 Email: dc@jhalawar1267@gmail.com
दिनांक 6-8-19

क्रमांक एक
विकारा

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय Construction of road from Barodiya to Jatamari
under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7757/2014) के भुगतान जमा करने के
संबंध में

प्रस्ताव - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र
क्रमांक एक 14 () 2014 / झालावाड़ रोड / एफ.सी. ए / प्रगुवस / 2503-04
दिनांक 11.07.2019।

मानदर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रास्तिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिकांश
अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न)
द्वारा अवगत करवाया है कि उक्त सड़क की राशि टी वी वाउचर संख्या 17866 दिनांक 27.08.2019 को
कॉम्प्यूटर के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा
हो गई है जिसके पास बिल, टी वी वाउचर व बालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	प्रयोजित सख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बजादिया से जटामरी	086047	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177570372

अतः श्रीमान में निवेदन है कि बजादिया से जटामरी सड़क की राशि जो कि खाता संख्या
1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सड़क के खाता संख्या
150856177570372 में स्थानान्तरित करवाने का भ्रम करे।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
[Signature]
(गण्डलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एक () विकारा / 2019-20 / दिनांक
प्रतिनिधि अधिकांश अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनाएं प्रेषित है।

[Signature]
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलोरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/

✓ श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - विलो के भुगतान जमा होने के क्रम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalainani under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य-वन संरक्षक (H/Off) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रमुख

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय .

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसागिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त तीनों सड़कों का भुगतान टी वी वाउचर्स संख्या 17864 (रोज्या सड़क), टी वी वाउचर्स संख्या 17865 (नयागांव गानपुरा सड़क) टी वी वाउचर्स संख्या 17866 (जटागरी सड़क) से दिनांक 27.06.2019 को क्रमांक एफ 14 के आता संख्या 1508501135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा तक का है मूल्य 1.50 करोड़ रुपये जमा हो गयी है जिसके धाम मिल, टी वी वाउचर, व धालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है

FCA

hul

6/8/2019

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र	प्रयोजन संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बड़ोदिया से जटानारी	1096947.00	150856113569281 मोहनपुरा रो गणेशपुरा लोडान	150856177570372
2	FP/RJ/ROAD/7595/2014 एनएच 12 से राज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा रो गणेशपुरा लोडान	150856175950315
3	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी रो 352/500 से नयानाब मानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा रो गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि, उक्त तीनों सड़कों की राशि जो कि खाता संख्या 150856113569281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गयी है उराको उक्त सड़कों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।

महोदय
अधिसायी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेश

सदस्य: श्री धाम विक्रदीवी
वाउमर व बालन की प्रतिमा

दिनांक
प्रतिनिधि श्रीमान् प्रधान मुख्य सन संस्था (Hoff) राजस्थान रायपुर
प्रतिनिधि श्रीमान् मुख्य सन संस्था गोटा
प्रतिनिधि श्रीमान् अधिसायी अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेश

अधिसायी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेश

खरीदिया से जतमदी

Reference No : 2438831

Government Of Rajasthan
WAM Invoicing Sheet

Month/Year : May/2019
Office ID : 18294

Detailed Wam bill of EX eng paid Div-Aktara(16294)

Bill For Works Payment : WAM Payment	Reference No : 1752877	Wam Reference No : 8/1 of 19
Division Name : EX EN PWD AKLERA	Division Code : 103	Bill No : 10073
Date : 24/05/2019	Demand No : 21	DDO Code : 15294
TAN : JDHE00424E	Object Head : 21	Budget Head : 3054-04-800-02-01/SFN
SF : 1098947.00	NonPlan : 0.00	NA : 0.00

To, The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 1098947 as per the claim contained in this bill
Sign of Clerk
Sign of DA

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guiness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with bills and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the Budget of the budget/L.C.
I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.
Sign of DDO with Seal
Sign of DDO

Sr No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date (in Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	Budget Head Production Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE 1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	17/1/1900 12:00:00 AM	1098947.00 1098947.00	1752877

Gross Amount Rs. 1098947.00
B.T. Amount: Rs.
Net Amount: Rs. 1098947.00
Amount in Words : TEN LAKH NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN Only

Admitted ₹ Objected ₹	For Accountant General Office	Pay ₹ No: 1098947.00	Sign of DDO Sign of DDO
		(In Words) SEVEN ONLY	Ten Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Fourty
	B.T. Heads : Head	Amount	
	Total (In Cash) ₹ : (In Words) :	1098947.00 TEN LAKH NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY	
Auditor	Supdt	Gaz. Officer	Auditor AAO-III Treasury/Sub Treasury Officer

बजट सं लक्ष्मी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Form RPWA 28

Bill No. & Date:

Bill Ref No.: 10073, Dated: 24/05/2019

Reference No:

Division Name: EX.Leng pwr Div-Aklara, Division Code: 15294
Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 436)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 28 are suitable)

Work: Barodily to Jatamari

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/Bill No: Dated:

Budget Head: 3854-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: Account No.- 150856113599281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 10,96,947 (In Words): Rupees Ten Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundreds Forty Seven Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
------	-----------	-------------	--------

Net Amount Payable In Figures: 10,96,947 (In Words): Rupees Ten Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundreds Forty Seven Only

Received fromsum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)...../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Signature of DA with seal

For use in Divisional Office

सहायक अभियन्ता
सां नि: वि: खण्ड अकलेश
डी: डी: ओ: 15294

NEFT/RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
25-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177570372
MoEF/SG File No.	1(52)FOREST/2016
Location	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	1096847/-

Amount in Words: Ten Lakh Ninety-Six Thousand Nine Hundred
and Forty-Seven Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177570372 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address.	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This Challan is valid only for seven days

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177570372
MoEF/SG File No.	1(52)FOREST/2016
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	1096847/-

Amount in Words: Ten Lakh Ninety-Six Thousand Nine Hundred
and Forty-Seven Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177570372 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This Challan is valid only for seven days

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

[Signature]
24/5/2019

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत

राज्य सरकार

सड़क विभाग

आदेश : ए 1(5) 40/2015 तारीख 10.03.2015

सड़क संधारण (H&T)

Construction of Road From Haridwar to Jammu under RRS&P (Phase II) in Rajasthan in Dist. Jaipur

सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत राजस्थान के जयपुर जिले में सड़क संधारण कार्य के लिए...

1. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
2. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
3. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
4. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
5. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
6. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
7. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
8. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
9. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
10. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
11. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
12. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
13. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
14. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
15. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...
16. सड़क संधारण कार्य के अन्तर्गत सड़क संधारण कार्य के लिए...

वन मुक्त वन सहायक (HoFF)

अनुदान अनुसूची।

विषय - Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar.

अर्देन - प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त सदरमित विषयवर्ति प्रस्ताव के वन सहायक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित रीति के तहत धारा-2 के वन भूमि द्वारा वर्तन की स्वीकृति वाली गई है। वन मुक्त वन सहायक अनुदान के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार के वन सहायक एन.पी.डी. संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 06.02.2009 के तहत 11-9/89- एक सी. दिनांक 03.01.2008 13.02.2014 व भारत सरकार के वन सहायक एन.पी.डी. संख्या 10.09.2014 के वन सहायक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त जारी दिनांक 18.03.2015 को पालन करते हुए Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP

(Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar. के 0984 हेक्टर हेतु अनुसूची के अन्तर्गत की स्वीकृति प्राप्त करने के अन्तर्गत प्रदान की जाती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावित वन भूमि पर परियोजना अन्तर्गत पालन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित वन भूमि पर परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की जनसंख्या एवं अन्य अनुसूची के किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके सहायक हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में दक्षिण दिशा में वन विभाग के बिना पूर्वाग्रहता के नहीं काटा जाये। उष्ण क्षेत्र में रोपित पेड़ परियोजना होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर पूरक रोजगार की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनके सहायक रखने की जिम्मेदारी भी सुचारु की होगी।
7. प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा सुच्य से 10 कुंतों के पालन होने पर 100 कुंतों तक 10 से अधिक कुंतों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले कुंतों का दर मुक्त सहायक से कुंतों का प्रस्तावण एवं 10 कुंतों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा दायित्व देती की स्वीकृति करते हुए एक सम्यक राशि जमा की जायेगी।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पट्टे रखने पर अधिभूत मूलांकन एवं 10 कुंतों तक रख रखाव हेतु आवश्यक प्रवृत्ति (वर्तमान दरों के समानित करते हुए सहायक) जमा की जायेगी।
9. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित उपायान्वय न्यायालय के रिट पिटीशन (रिविज) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 508 एवं भारत सरकार के वन संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 06.02.2009 के तहत में दिष्ट गए आदेशानुसार मुक्त वर्तमान मूल्य (एन.पी.डी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
10. वन सहायक अनुसूची के अनुसार मुक्त वर्तमान मूल्य तथा सुच्य सगी विधिया प्रतिपूर्ति, अधिभूत मूल्य प्रयोक्ता एवं प्रयोक्ता अधिकरण के तदर्थ सेवा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 के अन्तर्गत बैंक (भारत सरकार का उपकरण) संख्या-11 मुक्त सी.जी.ओ.कॉम्प्लैन्स फंड-1 सौदी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि पर परियोजना प्रस्तावित वन सहायक एन.पी.डी. संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 06.02.2009 के तहत में दिष्ट गए आदेशानुसार मुक्त वर्तमान मूल्य (एन.पी.डी.) तथा सगी विधिया प्रतिपूर्ति, अधिभूत मूल्य प्रयोक्ता एवं प्रयोक्ता अधिकरण के तदर्थ सेवा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 के अन्तर्गत बैंक (भारत सरकार का उपकरण) संख्या-11 मुक्त सी.जी.ओ.कॉम्प्लैन्स फंड-1 सौदी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की धरती की धरती जमा की गयी धरती का बैंक प्रकट/ बैंक की धरती प्रति प्रति स्वीकृति स्वीकृति की अनुसूची अनुसूची (जिसके जमा की गयी धरती का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.डी. स्वीकृति प्रस्तावण तथा अन्य हेतु जमा धरती का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है) धरती की जाए तदनुसार ही प्रकटन में स्वीकृति स्वीकृति का विचार किया जायेगा।
14. नोडल अधिकारी (वन सहायक) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले पाठ की 5 तारीख को सहायक अधिनियम के अन्तर्गत प्रवृत्ति निर्धारित किये।
15. राज्य सरकार द्वारा ही नई वन अनुसूची का प्रस्ताव सहायक अधिनियम के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के वन संख्या 7-20/2012/ एक सी.दिनांक 24.07.2012 के अन्तर्गत वन सहायक एन.पी.डी. संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 06.02.2009 के तहत में दिष्ट गए आदेशानुसार मुक्त वर्तमान मूल्य (एन.पी.डी.) तथा सगी विधिया प्रतिपूर्ति, अधिभूत मूल्य प्रयोक्ता एवं प्रयोक्ता अधिकरण के तदर्थ सेवा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 के अन्तर्गत बैंक (भारत सरकार का उपकरण) संख्या-11 मुक्त सी.जी.ओ.कॉम्प्लैन्स फंड-1 सौदी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की धरती की धरती जमा की गयी धरती का बैंक प्रकट/ बैंक की धरती प्रति प्रति स्वीकृति स्वीकृति की अनुसूची अनुसूची (जिसके जमा की गयी धरती का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.डी. स्वीकृति प्रस्तावण तथा अन्य हेतु जमा धरती का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है) धरती की जाए तदनुसार ही प्रकटन में स्वीकृति स्वीकृति का विचार किया जायेगा।

कमांक : प 152/वन / 2015
संसाधक (MoEF)
Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP
File II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar.
नं संख्या EP/RU/ROAD/7757/2014

वन विभाग के तहत धारा-2 में वन भूनि प्रस्तावना की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन सहायक (पर्यावरण) के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र नं संख्या 1-9/98-एकसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र नं संख्या 10.09.2014 से वन संसाधक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य नैतिकी बरखायी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP

(File II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar. नं 0994 डेक्टर हेतु वनभूमि के प्रभावगत नैतिकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है-

1. वन की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्ताव वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावकार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पैदा की संख्या से अधिक पैदा पातन नहीं किया जायेगा।
4. पत्र विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की जमीनों एवं दीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी उक्त क्षेत्र के संरक्षक द्वारा उचित उपाय किये जायेंगे।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में संयोजित पैदलों को वन विभाग के विना पुरानुमति के नहीं काटा जायें। उक्त क्षेत्र में नैतिकी प्रारम्भ करने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर पूरक रचना की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी पूरक की होगी।
7. प्रस्ताव उद्विगलन के व्यय पर वन विभाग द्वारा मुख्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों के अतिरिक्त वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का पुनरोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान वन संसाधित करते हुए तथा सजावट शीशे जमा की जायेगी।

अधिकरण द्वारा प्रस्तावित नार्म के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथावित वृक्षारोपण एवं रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंश) जमा

प्रयोक्ता अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान नृत्य तथा दूसरी सभी निम्निय प्रतिनिधि संरक्षण निधि प्रयोक्ता तथा योजना प्रयोक्ता के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB0102525 के अन्तर्गत बैंक द्वारा सरकार का चकमकालीक-11 नगर सी.जी.डी.को.नरकर फंड-1 लेखा संख्या नं दिल्ली-11003 में जमा करया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अधिकरण इस कार्य का दायरद्वारा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि न्याय कर है व न.पी.डी की दर में बढोतरी होती है तो वही हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा के होगी।
12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नक डिपॉजिट योजना एवं वन संसाधक द्वारा स्वीकृत काल केवल अधिकारी एक.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके क्षेत्र आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (दिल्ली) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-ए.ए.डी.के. 05.02.2009 के तहत नै दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुख्य (एन.पी.डी.) तथा वन विधि प्रतिपूर्ति प्रयोक्ता निधि प्रबंधन योजना प्रदिक के तदर्थ निकाल जायेशिन बैंक निम्न सरकार का उपकरण/लॉक-11 नृत्य सी.जी.डी.को.नरकर फंड-1 लेखा संख्या नं दिल्ली-11003 में जमा राशि की पारवी की उपाय प्रति वन की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट / बैंक चेक प्रकृति स्वीकृत नैधानिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या जिसके जमा की गयी राशि का नैतिकी वन अधीन एन.पी.डी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण नदवार दिखाने कि गजा हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण नै विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
14. नोडल अधिकारी (वन संसाधक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अन्तर्गत नगर की 5 डेक्टर को उचित क्षेत्रीय कार्यालय को भाविक रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नं नै यथावत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 / एनपी दिनांक 24.07.2015 से नानरक नै. प्रमुख नृत्य द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण नै सुनिश्चित की लै तथा प्रकरण नै जारी स्वीकृति को पूरक एंसेसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी नै प्रकाशित होने लगे लकार पत्रों नै अक्षर प्रकाशित करार एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकार सँदीध पंथावत नै नानरकारिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध करार सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त सभी शर्तों पर विचार एवं विचार प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही वन संसाधक (अधिकरण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नैतिकी/क्षेत्र का इलाका नैतिकी की कार्यवाही प्रकरण नै विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नै दै धारणी।

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)


Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743		6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732	15085611 3599281	6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan)

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4190-92

Date:- 22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having in-mated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.994 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for construction of approach road to Barodiya to Jatamari falls within jurisdiction of Gram Panchayat Barodiya Village in Barodiya in Asnawar tehsil.

It is further certified that :-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.994 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.


End. As above


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4190-92

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwar for N/A
Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

Date :- 22-08-24


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

**जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः
10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई जिसमें संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारीयो ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा ग्राम पंचायत खेडला खसरा नं. 105 में 2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर. सम्पर्क सडक बडौदिया से जटामरी ग्राम पंचायत बडौदिया खसरा नं. 497,529,530,528,155,99,98 में 9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर एवं सम्पर्क सडक रोज्या ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान खसरा नं. 651/240, 650/236, 235, 649/234 में 9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर, सम्पर्क सडक बानीखेडी ग्राम पंचायत डोडी खसरा नं. 383,364,363,383 में 5200 वर्गमीटर = 0.52 हैक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में आती है। जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा सम्पर्क सडको के निर्माण कार्य मे आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणो का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र मे कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यो में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

क्र० सं०	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावार	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
2	सम्पर्क सडक बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावार	497,529,530,528, 155,99,98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
3	सम्पर्क सडक रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
4	सम्पर्क सडक बानीखेडी	डोडी	गंगधार	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हैक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम /

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


दिनांक :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड
2. उपवन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. झालावाड
5. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा / चौमहला
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

दिनांक 02/02/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, असनावर की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	ढायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	बडौदिया	497	बडौदिया	210 sqm = 0.021 Hect.
2	बडौदिया	529	बडौदिया	4130 Sqm = 0.413 Hect.
3	बडौदिया	530	बडौदिया	414 Sqm = 0.014 Hect.
4	बडौदिया	528	बडौदिया	3360 Sqm = 0.336 Hect.
5	जटामरी	155	बडौदिया	1260 Sqm = 0.126 Hect.
6	जटामरी	99	बडौदिया	210 Sqm = 0.021 Hect.
7	जटामरी	98	बडौदिया	630 Sqm = 0.063 Hect.
			कुल	9940 Sqm = 0.994 Hect.


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 असनावर (झालावाड)


 विकास अधिकारी
 पंचायत समिति झालरापाटन


 उपखण्ड अधिकारी
 असनावर (झालावाड)

उपखण्ड अधिकारी
 झालावाड (राज.)

दिनांक 11/11/2006 को उपर्युक्त स्तरीय वनाधिकारी समिति... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निर्मांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रकियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	हाथवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	बडौदिया	497	बडौदिया	210 sqm = 0.021 Hect
2	बडौदिया	529	बडौदिया	4130 Sqm = 0.413 Hect.
3	बडौदिया	530	बडौदिया	414 Sqm = 0.014 Hect.
4	बडौदिया	528	बडौदिया	3360 Sqm = 0.336 Hect.
5	जटापरी	155	बडौदिया	1260 Sqm = 0.126 Hect.
6	जटापरी	99	बडौदिया	210 Sqm = 0.021 Hect.
7	जटापरी	98	बडौदिया	630 Sqm = 0.063 Hect.
कुल				9940 Sqm = 0.994 Hect. ✓

11/11/2006
 ग्राम सेवाकेंद्र प्रदेन सचिव
 ग्राम भूमि प्रसागत बडौदिया
 ग्रामवासी संसिद्धि आलरापाटन
 प.स. शासिका

सुरपथ
 ग्राम पंचायत बडौदिया
 प.स. शासिका